ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/143/2004/सिरोही बाबूलाल बनाम मीठालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री हरीशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री डूँगरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 06–02–2020.

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 7 ने सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 8 के विरूद्ध एक दावा अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात विरचित की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निणय दिनांक 07–10–2003 द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/143/2004/सिरोही बाबूलाल बनाम मीठालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	07–10–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 1 व का निर्णय प्रत्यर्थी/वादीगण के पक्ष में व अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध करने में विधिक त्रुटि की है तथा तनकी सं0 1 का निर्णय करते समय उपलब्ध रेकार्ड का विवेचन किए बिना दावा डिक्री किया। उनका यह भी तर्क था कि तनकी सं0 2 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध व प्रत्यर्थी के पक्ष में करने में विधिक त्रुटि की है तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को बिना दावा डिक्री किया। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 6 ने अपने बयानों में कहा कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी निवास करते है तथा कब्जा काश्त उन्हीं का है, रिफर भी उक्त तथ्या को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री किया। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 8 राज्य सरकार द्वारा जो जवाब पेश किया गया उसे पढे व समझे बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की जबकि राज्य सरकार ने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी का अकेले का कब्जा है। उनका तर्क था कि तनकी सं0 3, 4 व 5 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय प्रदान नहीं किया तथा तथ्यों का विवेचन किए बिना अपना निर्णय प्रदान किया।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/143/2004/सिरोही बाबूलाल बनाम मीठालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का पिछने 50 वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्या, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान अपील में प्रत्यर्थीगण/वादी द्वारा विभाजन का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया कि वादीगण का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा और विवादित भूमि पर विकास का समस्त कार्य उनके खर्चे से करवाया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी नही है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व अभिलेख के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार व औचित्य नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/143/2004/सिरोही बाबूलाल बनाम मीठालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गई है जबकि वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिक स्थिति के अनुरूप पारित किए गए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई ओचित्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हरीशंकर गोयल) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	